

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6)/आर-2260/2013/अलेसे-III/76

दिनांक:- 10/02/2021

शुद्धि पत्र

निदेशालय द्वारा श्री राकेश कुमार रैगर, कनिष्ठ लेखाकार के संबंध में पूर्व में जारी निलम्बन आदेश संख्या एफ.4(ई) (1) (6) /आर-2347/2013/अलेसे-III/6196 दिनांक 05.11.2020 के प्रथम अनुच्छेद में अंकित "दिनांक 10.10.2020 से 14.10.2020" के स्थान पर "दिनांक 10.10.2020 से 15.10.2020" पढ़ा जावे।

आदेश का शेष भाग पूर्वानुसार यथावत रहेगा।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6)/आर-2260/2013/अलेसे-III/76

दिनांक :- 10/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)